

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./21-0/2009/464

भोपाल, दिनांक/1.8.09


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड |
|------|--|----------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आई.डी. क्रमांक | संस्था/जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती कुमकुम जैन अध्यापक शा.क.मा.वि. टिकरिया जिला पन्ना | BN1128 | 231004015 01 | जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. 1487 दि. 20.07.09 | नगर पंचायत पथरिया जिला दमोह जा.क्र. 115 दि. 24.06.09 शा.नवीन हाईस्कूल पथरिया | 23120266 605 |


संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।




8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 11.8.09

पृ./क्र०/शि.क./ए/संवि./21-0/2009/465
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
4. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
6. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
7. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./24/ए/2008/490
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/2/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला उज्जैन, धार, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर,
अशोकनगर, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन एवं भिण्ड,
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर
कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र | शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम | कार्यरत निकाय का नाम | संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम | सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं | रिमार्क |
|-----|---|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती नसीन बानो सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बडा कुम्भेद जिला उज्जैन | निरंक | निरंक | निरंक | दोनों निकाय की अनापत्ति एवं नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। |
| 2 | श्रीमती मनीषा शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. बरदरा जिला धार | जनपद पंचायत नालछा जिला धार जा.क्र. 2310 दि. 29.06. 09 | नगर पंचायत राऊ जिला इंदौर जा.क्र. 802 दि. 10.07.09 शा.वा.उ.मा.वि. राऊ | निरंक | नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। |
| 3 | श्री केशव प्रसाद शर्मा अध्यापक शा.मा.शा. सैगुवां जिला टीकमगढ़ | जिला पंचायत टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 2438 दि. 09.07. 09 | जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. 6267 दि. 17.07.09 | संलग्न है। | प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है। |
| 4 | श्रीमती कविता अहिरवार संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शा.प्रा.शा. कैरो जिला छतरपुर | जनपद पंचायत बकस्वाहा जिला छतरपुर जा.क्र. 1202 दि. 11.06. 09 | जनपद पंचायत बासौदा जिला विदिशा जा.क्र. 1339 दि. 01.06.09 | निरंक | भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है। |
| 5 | श्रीमती लक्ष्मी मरावी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बगासपुरा जिला सागर | जनपद पंचायत रहली जिला सागर जा.क्र. निरंक दि. 28.05. 09 | जनपद पंचायत बडवारा जिला कटनी जा.क्र. 419-ए दि. 16.06.09 | निरंक | संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है एवं नियुक्ति /संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|
| 6 | श्री कमल सिंह असावरा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. डोंगर जिला अशोकनगर | जनपद पंचायत चंदेरी जिला अशोकनगर जा.क्र. 2305 दि. 24.06. 09 | निरंक | निरंक | प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है। |
| 7 | श्री नरेन्द्र सिंह कौरव अध्यापक शा.मा.शा. खैरीनाका जिला नरसिंहपुर | जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 1059 दि. 26.07. 08 | निरंक | निरंक | प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है। |
| 8 | श्री संजय बडोले अध्यापक शा.मा.वि. शाहपुरा जिला खंडवा | जिला पंचायत खंडवा जिला खंडवा जा.क्र. 3566 दि. 01.06. 09 | जिला पंचायत खरगोन जिला खरगोन जा.क्र. 5221 दि. 14.07.09 शा.मा.वि. बलखडिया | नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है। | आवेदकों द्वारा जिला पंचायत खंडवा द्वारा जारी संयुक्त अनापत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। |
| 9 | श्री सुनील कुमार पंचौर अध्यापक शा.मा.वि. बलखडिया जिला खरगोन | जिला पंचायत खरगोन जिला खरगोन जा.क्र. 5221 दि. 14.07. 09 | निरंक | नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है। | |
| 10 | श्री बृजेरा कुमार जाटव संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शा.प्रा.वि. बघपुरा जिला भिण्ड | निरंक | निरंक | निरंक | प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला दिशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है। |

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/8/09

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/24/09/49/
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी., मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश